

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

क. 53/एक-11-1/85

दमोह दि. 18 जून 2025

::- संशोधित कार्य विभाजन आदेश :-

कार्य विभाजन आदेश कं. 47/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 05.05.2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

01. कार्य विभाजन आदेश के सरल कं. 15 के खंड कं. 4 के सरल कं. 03 के पश्चात् नवीन सरल कं. निम्नानुसार अंतःस्थापित किये जाते हैं:-

4. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पृ. कं. ए/3088/दो-15-18/2001 जबलपुर दिनांक 06 जून 2025 मय मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दि. 28.05.2025 के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत समस्त प्रकरण तथा कार्यवाहियां।
5. दमोह नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर विकासखण्ड दमोह, पथरिया, जबेरा एवं तेंदूखेड़ा जिला दमोह के स्थानीय क्षेत्र के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य सिविल प्रकरण (मध्यप्रदेश राज पत्र दिनांक 03.07.09 की अनुसूची क्रमांक-2 के अनुसार)।
6. राजस्व तहसील दमोह की जनपद पंचायत दमोह के स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य दांडिक प्रकरण (म.प्र. राजपत्र दिनांक 03.07.09 में अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार)
7. ग्राम न्यायालय दमोह द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण साप्ताहिक वाद निष्पादन कार्यवाही में किराया जमा करने और निकालने संबंधी आबंटन तथा अन्य कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही संबंधित कार्य।

02. कार्य विभाजन आदेश के सरल कं. 16 के खंड कं. 4 के सरल कं. 04 से लेकर 07 तक विलोपित किये जाते हैं।

उक्त संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(पी.सी.गुप्ता) 18-6-25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म.प्र.

पृ. कं. 56/ / एक-11-1/85

दमोह दि. 18 जून 2025

प्रतिलिपि:-

रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, कार्यालय कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, दमोह/समस्त न्यायालय/अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ दमोह/हटा/पथरिया, जिला दमोह, प्रस्तुतकार, प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायालय दमोह/कुटुम्ब न्यायालय दमोह/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह/उप प्रशासनिक अधिकारीगण/लेखापाल/कार्यालय लिपिक/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय दमोह, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कृते- प्रधान जिला एवं सत्र न्याया.

दमोह म.प्र.